# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 116/2022 दायर दिनाँक 11.04.2022

**वादी**

1. अब्दुल हकीम पुत्र हासम अली जाति देशवाली उम्र 78 वर्ष निवासी बालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

**बनाम्**

**प्रतिवादीगण**

1. तहसीलदार डीडवाना।

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. श्री सुनिल सिखवाल वकील वादी।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँक 20.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना, भू–अभिलेख निरीक्षक डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में स्थित खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा पश्चिम दिशा की, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि की वर्तमान खातेदारी अमतु बानो पत्नि मालू खां जाति कायमखानी निवासी निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 हाल निवासी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राज0 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज। उक्त खातेदार अमतु बानो का वर्तमान में देहान्त हो चूका है। नकल वर्तमान खतौनी की साथ में पेश है।

यह है कि मौजा वाकै सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि के तत्समय खातेदार फुलेखां वल्द बगतावर खां व नाबालिक रावत खां पुत्र बख्तावर खां (जरिये संरक्षक फुलेखा वल्द बगतावर खां के) समस्त जाति कायमखानी निवासीगण डीडवाना ने दिनांक 22.06.1955 को खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड बैचाण मालु खां पुत्र सब्दल खां जाति कायमखानी निवासी निम्बी कलां को सप्रतिफल करके उक्त बिक्रीत भूमि पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति वाद–पत्र के साथ में प्रस्तुत है।

यह है कि मौजा वाकै सरहद डीडवान में स्थित खेत खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, खसरास 0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि के रजिस्टर्ड क्रेता मालु खां द्वारा दिनांक 08.06.1981 को भूमि रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि का अब्दुल हकीम पुत्र हासम अली जाति देशवाली निवासी बालिया को जरिये हकरारनामा बैचाण करके कब्जा अब्दुल हकीम को सुपुर्द कर दिया था। विक्रय पत्र की प्रति साथ में पेश है।

यह है कि अब्दुल हकीम द्वारा मौजा वाकै सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा पश्चिम दिशा की, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि का बैचाण दिनांक 08.06.1981 को वादी को सप्रतिफल करके उक्त भूमि रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि भूमि पर कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया था तब से लेकर आज तक भूमि पर वादी ही काबिज चला आ रहा है। वादी ने खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा पश्चिम दिशा की, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि के बैचाण इकरारनामा दिनांक 26.08.2021 के सम्बन्ध में महानिरिक्षक महोदय वृत अजमेर के यहां आवेदन कर उक्त इकरारनामा को प्रकाण सं0 195/2021 निर्णय दिनांक 21.11.2021 से पूर्ण मुदांकित करवा लिया है। उक्त इकरारनामा पूर्ण मुद्रांकित की प्रति साथ में पेश है।

प्रार्थना वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार है :-

यह है कि मौजा वाकै सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा पश्चिम दिशा की, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादी का नाम बतौर स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2022/339 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा तहसीलदार डीडवाना का जवाब प्राप्त हुआ।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

**-:आदेश :-**

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा पश्चिम दिशा की, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादी का नाम बतौर स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **20.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 116/2022 दायर दिनाँक 11.04.2022

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. अब्दुल हकीम पुत्र हासम अली जाति देशवाली उम्र 78 वर्ष निवासी बालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। | बनाम् | 1. तहसीलदार डीडवाना। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.**

दिनाँक 20.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल सिखवाल वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा पश्चिम दिशा की, खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं0 807 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादी का नाम बतौर स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | – | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | – | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, ... के डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner